

(आदेश फलक)

# य अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 115/19

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

विरमा दौसरा नं० बनाम खीतराम दौसरा नं०

स्थानीय पुलिस दरभंगा थाना से प्राप्त प्रतिवेदन,

जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत

होता है कि मुमि विवाद की लोक उभय पक्ष

की विवाद नवाब की देखने हुए विधायक

की विवाद की अनुमंडल की जांच की

15-10-19

11-02-20

25-02-20

17-03-20

03-04-20

11-9-20

25-9-20

09-10-20

16-10-20

06-11-20

27-11-20

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं

उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा

तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट

हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु

निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों

के विरुद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है

तथा इनसे दिनांक 15 / 10 20 19 को कारण-पृच्छा की

मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति

बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल

करने का आदेश दिया जाय।

लेखापति

21/10/19

अनु० दण्डाधिकारी  
डुमरी (गिरिडीह)

अनु० दण्डाधिकारी  
डुमरी (गिरिडीह)

21/10/19



द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का  
निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 116/19-20 -


विरसा हॉसदा लॉन्-बनाम - सीताराम हॉसदा पक्ष


अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक  
अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत  
कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत  
में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय  
पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन  
संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ  
हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की  
जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
डुमरी।

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
डुमरी।